

- 5- संस्था के शैक्षणिक एवं विज्ञानोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तों बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अभासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालयों की रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय घंटा पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की सूक्ष्म या धिक्कता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भरतीय

प्रमाण सुन्दर अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव

पू0संख्या एवं दिनांक तदैव

- 1- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना दी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 2- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर।
- 5- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- प्रबंधक, डा0 विवेक स्वल्प संप्रदाय विद्यालय कानपुर।

आज्ञा है

प्रमाण सुन्दर अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव